

## सहीह मुस्लिम शरीफ का मुकद्दमा

**हम्दो-सलात के बाद इमाम मुस्लिम अपने शार्गिद अबू इस्हाक को मुखातब करते हुए फरमाते हैं:** अल्लाह ताअला तुझ पर रहम फरमाए कि तूने अपने परवरदिगार ही की तौफीक से यह जिक्र किया था कि रसूलुल्लाह ﷺ से जो हदीसे रिवायत की गई हैं उन सारी हदीसों की तलाश व जुस्तजू की जाए जो दीन के उसूल और उसके हुकम जो सवाब व अज़ाब और रगबत व खौफ यानी फज़ाईल व अखलाक के मुताल्लिक हैं। और तुम वे सारी हदीसों उन मुस्तनद अस्नाद के साथ चाहते हो, जिनको उलमा-ए-हदीस ने कुबूल किया है। अल्लाह ताअला तुम को हिदायत दे कि तुम ने उस बात का इरादा जाहिर किया कि मैं इस किस्म की सारी हदीसों का एक मजमूआ तैयार करके इख्तसार के साथ तुम्हारे लिये जमा कर दूँ-----अल्लाह ताअला तुम्हें इज्जत अता फरमाए, जब मैंने तुम्हारी इस फरमाइश पर गौर किया और उसके अन्जाम की तरफ तवज्जोह की, और अल्लाह करे उसका अन्जाम अच्छा हो, तो मुझे यह अन्दाजा हुवा कि और लोगों से पहले खुद मुझे भी यह मजमूआ तैयार करने का फायदा होगा-----मजबूती और सेहत के साथ थोड़ी सी हदीसों को याद रखना ज्यादा आसान है खास तौर पर उन लोगों के लिये जिन्हें सहीह और गैर सहीह हदीसों में तमीज हासिल ही नहीं हो सकती जब तक कि दूसरे लोग उनको बता ना दें। पस ऐसी सूरतेहाल में थोड़ी तादाद में सहीह रिवायतें जमा करने का इरादा करना, बहुत ज्यादा तादाद में जईफ रिवायतें जमा करने से ज्यादा बेहतर और मुफीद होगा-----

1- वह लोग जिन पर अक्सर मुहद्दिसीन ने तअन किया है जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मसूर, अबू जाफर मदाइनी, अमर बिन खालिद-----वगैरह 2- और उन जैसे दूसरे लोग जिन पर हदीसों घड़ने की तोहमत है, 3- और वह लोग जो अजखुद हदीसों बनाने में बदनाम हो चुके हैं, 4- और इसी तरह वह लोग भी जिनकी अक्सर हदीसों मुन्कर या गलत होती हैं तो ऐसे तमाम लोगों की रिवायतों को हम अपनी किताब में जमा नहीं करेंगे। उसूल हदीस की इस्तलाह में मुन्कर उस शख्स की हदीस को कहते हैं जो सिका और कामिलुल हिफज रावियों की रिवायत के खिलाफ रिवायत करे या उसकी हदीसों की किसी ने भी मुवाफकत ना की हो। पस जब ऐसी सूरतेहाल हो तो वह रावी मत्रुकुल हदीस होगा और उसकी हदीसों मुहद्दिसीन के नजदीक काबिले कुबूल और काबिले अमल नहीं होंगी-----इसी तरह अगर तुम किसी को देखो वह जोहरी जैसे बुजुर्ग शख्स, या हिशाम बिन उर्वा जैसे अजीम शख्स, जिनकी रिवायात अहले इल्म के यहाँ बहुत मशहूर और फैली हुई हैं-----, से ऐसी रिवायत बयान करे जिस रिवायत को उनके मशहूर शार्गिदों में से किसी ने भी बयान ना किया हो और ये रावी सहीह रिवायात में उनके मशहूर शार्गिदों का भी शरीक ना रहा हो, तो ऐसे रावी की हदीस को कुबूल करना जायज नहीं।

हमने रिवायते हदीस के सिलसिले में मुहद्दिसीन के मजहब को बयान कर दिया है ताकि जो लोग उसूल हदीस से वाकिफ नहीं हैं, उनमें से अहले तौफीक को यह इब्तदाई मालूमात हासिल हो जाएं-----ऐ शार्गिदे अजीज! इन सारी ऊपर जिक्र की हुई बातों के बाद अल्लाह ताअला तुझपर रहम करे, जब हमने जईफ और मुन्कर अहादीस को अलग करने में उन लोगों की गलतियों का जायजा लिया, जो लोग खुद को मुहद्दिस करार देते हैं, तो देखा कि यह लोग सिर्फ सहीह और मशहूर हदीसों पर इक्तफा करने की बजाय उन रावियों से भी हदीसों नकल कर रहे हैं, जिनके बेवकूफ और गैर मुस्तनद होने को ये खुद भी मानते हैं-----

अब जो लोग मजहूल और जईफ सनदों के जरीए इन मुन्कर रिवायतों को नकल करके खामियों से नावाकिफ अवाम में फैला रहे हैं, तो हमारे दिल में यह एहसास पैदा हुवा कि ऐ शार्गिदे अजीज हम तेरी [सहीह हदीसों को जमा करने की] फरमाइश को जरूर पूरा करें-----

याद रखो! अल्लाह तुम्हें तौफीक दे यह बात अच्छी तरह ज़हन नशीन करलो कि हर एक मुहद्दिस जो सहीह और गैर सहीह हदीसों की पहचान, सिका और गैर सिका रावियों की मारफत रखता है उस पर वाजिब है कि वह सिर्फ ऐसी हदीसों नकल करे जिनकी सनदें सहीह हों और उनके रावियों में से कोई रावी भी झूठा, बिदअती और सुन्नत की मुखालफत करने वाला ना हो, या उस रावी का ऐब फाश ना हुवा हो, और हमारे इस कौल की दलील ऐसी है कि कोई भी उसका मुखालिफ नहीं है और वह है:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ①

[الحجرات: آیت نمبر 6]

**तर्जुमा:** ऐ ईमान वालो! अगर तुम्हारे पास कोई फासिक (शख्स) कोई खबर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो (ऐसा ना हो) कि तुम किसी कौम को लाइल्मी में (नाहक) तकलीफ पहुँचा बैठो, फिर तुम अपने किये पर पछताते रह जाओ। (अल हुज़ात: आयत न० 6)

याद रखो मुहद्दिसीन के नजदीक फासिक की रिवायत उसी तरह मरदूद है जिस तरह कि आम लोगों के नजदीक उसकी गवाही गैर मक़बूल है। कुरआने हकीम से खब्रे फासिक का गैर मोतबर होना साबित है और इस पर हदीस भी गवाह है कि मुन्कर रावी का रिवायत बयान करना सही नहीं। और वह हदीस वही है जो रसूलुल्लाह ﷺ से शोहरत के साथ मन्कूल है कि जिसने इल्म के बावजूद झूठी हदीस को मेरी तरफ मन्सूब किया वह झूठों में से एक झूठा है।

**हदीस न० 1 से 6 [मुत्फिक अलैह] हजरत अली से, हजरत अनस से, हजरत अबूहुरैरह से, हजरत मुगीरह बिन शोबह से [رضی اللہ عنہم اجمعین] رسولुल्लाह ﷺ** ने फरमाया: "मुझ पर झूठ मत बाँधो, जो शख्स मेरी तरफ झूठ मन्सूब करेगा वह जहन्नम में दाखिल होगा"।

**हदीस न० 7 से 9 [मुत्फिक अलैह] हजरत उमर बिन खत्ताब से, हजरत अबूहुरैरह से, हजरत हफस बिन आसिम से [رضی اللہ عنہم اجمعین] رسولुल्लाह ﷺ** ने फरमाया: "किसी शख्स के झूठा होने के लिये यही बात काफी है कि वह हर सुनी हुई बात को आगे बयान कर दे"।

**हदीस न० 16: अबूहुरैरह رضی اللہ عنہ से رسولुल्लाह ﷺ** ने फरमाया: आखिर जमाने में झूठे व दज्जाल लोग होंगे, तुम्हारे पास ऐसी हदीस लाएंगे जिनको ना तुमने, ना तुम्हारे बाप दादों ने सुना होगा, तुम ऐसे लोगों से बचना कहीं वे तुम्हें गुमराह ना कर दें। और फितने में ना डाल दें।

**हदीस न० 17: हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद رضی اللہ عنہ का कौल:** हजरत अब्दुल बिन मसूद फरमाते हैं कि शैतान इन्सानी शकल व सूरत में किसी कौम के पास आकर उनसे कोई झूठी हदीस कह देता है। और जब लोग मुन्तशिर हो जाते हैं तो उनमें से एक आदमी कहता है कि मैंने ऐसे आदमी से यह बात सुनी है जिसकी शकल से तो मैं वाकिफ हूँ लेकिन उसका नाम नहीं जानता। [यानी वह आदमी जिसकी हदीस बयान की जा रही होती है दरअसल शैतान होता है]

**हदीस न० 21:** हजरत मुजाहिद बयान फरमाते हैं: हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि एक वक्त वह था कि जब हम किसी से यह सुनते कि رسولुल्लाह ﷺ ने फरमाया तो हमारी निगाहें अचानक बे इखितयार उसकी तरफ लग जाती थीं। और हम बड़े गौर से उसकी हदीस सुनते थे। लेकिन जब से लोगों ने जईफ और हर किस्म की हदीस बयान करना शुरु कर दी हैं, तो हम सिर्फ उसी हदीस को सुनते हैं, जिस हदीस को हम पहले से जानते हों। (कि यह सहीह हदीस है)

**हदीस न० 22:** हजरत इब्ने अबी मुलैकह बयान फरमाते हैं: मैंने हजरत इब्ने अब्बास को लिखा कि मेरे पास कुछ हदीस लिखवाकर पोशीदा तौर पर भिजवा दें। तो हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया: मैं इस लड़के के लिये हदीसों के लिखे हुए जखीरे में से सहीह हदीसों को ही मुन्तखब करके भेजूंगा। फिर हजरत इब्ने अब्बास ने सय्यदना अली के किये हुए फैसले मंगवाए और उनमें से कुछ बातें लिखने लगे और कुछ बातों को देख कर फरमाते जाते: अल्लाह की कसम अली ने यह फैसला नहीं किया था। अगर वह ऐसा करते तो खुद भी राहे रास्त से भटक जाते। [यानी कुछ लोगों ने सय्यदना अली के फैसलों में तहरीफ कर दी थी]

**हदीस न० 24:** हजरत अबूइहाक फरमाते हैं कि हजरत अली की वफात के बाद जब लोगों ने उनके किये हुए फैसलों को निकाल कर देखा, तो सय्यदना अली के साथियों में से एक साथी ने फरमाया: अल्लाह ताला इनको (यानी तहरीफ करने वालों को) तबाह करे कि इन्होंने कैसे कीमती इल्म को बिगाड़ डाला है।

**हदीस न० 27:** हजरत इब्ने सीरीन ने फरमाया कि पहले लोग अस्नाद की तहकीक नहीं किया करते थे लेकिन जब दीन में बिदअतें और फितने दाखिल होगए तो लोगों ने कहा कि अपनी अपनी सनदें बयान करो, पस जिस हदीस की सनद में अहले सुन्नत रावी देखते तो हदीस कुबूल कर लेते और अगर सनद में अहले बिदअत को देखते तो हदीस छोड़ देते।

**हदीस न० 30:** हजरत अब्दुल्लाह बिन जक्वान अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने मदीना शरीफ में ऐसे 100 आदमी पाए जिनके नेक सीरत होने पे सबका इत्तिफाक था मगर उन्हें हदीस रिवायत करने का अहल नहीं समझा जाता था, और उनकी हदीस कुबूल नहीं की जाती थी।

**हदीस न० 32:** हजरत अब्दुल्लाह बिन उस्मान फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक को फरमाते हुए सुना कि अस्नादे हदीस दीन का हिस्सा हैं। और अगर अस्नाद ना होती तो हर आदमी अपनी मर्जी का दीन बयान कर देता-----अबू इस्हाक इब्राहीम बिन ईसा फरमाते हैं: मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक के सामने एक हदीस बयान की-----हदीस सुनकर उन्होंने फरमाया: यह हदीस किस की रिवायत है मैंने कहा शिहाब बिन खराश की तो उन्होंने फरमाया: की वह सिका है फिर उन्होंने कहा शिहाब ने किस से रिवायत की है मैंने कहा हज्जाज बिन दीनार से उन्होंने फरमाया की वो भी सिका है तो उन्होंने फरमाया कि हज्जाज ने किस से रिवायत की? मैंने कहा कि वह कहता है कि رسولुल्लाह ﷺ ने फरमाया। तो हजरत इब्ने मुबारक ने फरमाया: ऐ अबू इस्हाक, हज्जाज और رسولुल्लाह ﷺ के दर्मियान तो इतना तवील जंगल (यानी जमाना) है, जिसको तय करते करते ऊँटों की गर्दन थक जाएंगी। (यानी यह हदीस तो मुन्कता है)

**हदीस न० 38:** अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि मैंने सुफयान सौरी से कहा कि आप इबाद बिन कसीर के हालात से वाकिफ हैं कि वह अजीब व गरीब अहादीस बयान करता है, आपकी उसके मुताल्लिक क्या राय है कि मैं लोगों को उस से हदीस बयान करने से रोक दूँ। हजरत सुफयान ने कहा क्यों नहीं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते: जिस मजलिस में मेरे सामने इबाद बिन कसीर का जिक्क आता तो मैं उसकी दीनदारी की तारीफ करता, लेकिन यह भी कह देता कि उसकी हदीसें ना लो।

**हदीस न० 40:** हजरत यहया बिन सईद कतान अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हमने नेक लोगों से बढ़ कर किसी और को झूठी हदीस बयान करते हुए नहीं पाया। इमाम मुस्लिम कहते हैं: झूठी हदीस उनकी जबानों से निकल जाती है। (यानी वह लोग जान बूझ कर झूठ नहीं बोलते हैं)

**हदीस न० 54:** सुफयान बयान करते हैं कि लोग जाबिर बिन यजीद अल जोफी से उसके बातिल अकीदे के इजहार से पहले हदीस बयान करते थे लेकिन जब उसने अपने बातिल अकीदे को जाहिर कर दिया तो लोगों ने उसको हदीस में मशकूक करार दे दिया और उससे रिवायत लेना छोड़ दिया। जब सुफयान से कहा गया कि उसने किस बातिल अकीदे का इजहार किया था? तो सुफयान ने कहा रजअत के अकीदे का।

**हदीस न० 55:** जर्हाह बिन मलीह कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन यजीद अल जोफी से सुना वह कहता था कि अबू जाफर (यानी इमामुल बाकिर बिन अली बिन हुसैन رحمه اللہ) से रिवायत की गई, رسولुल्लाह ﷺ की 70,000 हदीसें मेरे पास मौजूद हैं।

**हदीस न० 58:** सुफियान बयान करते हैं कि मैंने सुना कि एक आदमी ने जाबिर अल जोफी से अल्लाह के इस कौल की तफसीर पूछी:

(.....) فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكَمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾

**तर्जुमा:** (-----और उस से पहले तुम यूसुफ के हक में जो ज्यादातियाँ कर चुके हो), सो मैं इस सर ज़मीन से हर गिज नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरा बाप इजाजत (ना) दे या मेरे लिये अल्लाह कोई फैसला फरमा दे, और वह सब से बेहतर फैसला फरमाने वाला। (यूसुफ: आयत न० 80)

तो जाबिर ने कहा कि इस आयत की तफ्सीर अभी जाहिर नहीं हुई। सुफियान ने कहा कि उसने झूठ बोला। हम ने कहा कि जाबिर की उससे मुराद क्या थी तो सुफियान ने कहा कि राफज़ी यह कहते हैं कि हजरत अली बादलों में हैं और हम उनकी औलाद में से किसी के साथ ना निकलेंगे यहाँ तक कि आसमान से हजरत अली आवाज दें कि निकलो फलाँ के साथ। जाबिर इस आयत की झूठी तफ्सीर बयान करता (यानी रजअत का बातिल अकीदा रखता था) हालाँकि यह आयत तो यूसुफ عليه السلام के भाइयों से मुताल्लिक है।

**हदीस न० 64:** हजरत हमाम ने कहा कि अबू दाऊद अल आमा हजरत कतादा के पास आया जब वह चला गया तो लोगों ने कहा कि इस शख्स का दावा है कि वह 18 बदरी सहाबियों से मिला है। हजरत कतादा ने कहा कि यह ताऊन से पहले भीख माँगता था। उसका रिवायत हदीस से कोई लगाव था ही नहीं और यह इस फन में गुप्तगू करता है। अल्लाह की कसम हसन बसरी और सईद बिन मुसय्यब जैसे ताबईन ने भी सिवाय सअद बिन अबी वक्कास के किसी भी दूसरे बदरी सहाबी से रिवायत नहीं की है।

**हदीस न० 79:** अली बिन मसहर का बयान है: मैंने और हमजा ने इब्ने अबी अय्याश से लगभग 1000 हदीसों का सिमा किया है मगर जब मैं हमजा से मिला तो उन्होंने ने बताया कि मैंने नबी ﷺ की ख़्वाब में ज़ियारत की तो आप ﷺ के सामने मैंने इब्ने अबी अय्याश से सुनी हुई हदीसों का बयान किया तो आप ﷺ ने उनमें से 5 या 6 के अलावा किसी भी हदीस के सही होने की तस्दीक नहीं की।

**हदीस न० 83:** हजरत अबू नईम से जब मुअल्ला बिन इरफान ने अबू वाइल के हवाले से बयान किया कि वह कहता है कि हमारे सामने अब्दुल्लाह बिन मसउद जंग-ए-सिफ्फ़ीन के मौके पर आए थे तो अबू नईम ने मुअल्ला से फरमाया: क्या हजरत मसउद (सिफ्फ़ीन से 2 साल पहले) मर जाने के बाद दोबारा जिन्दा हो गए थे?

**हदीस न० 84:** अफफान बिन मुस्लिम फरमाते हैं कि हम इस्माईल की मजलिस में थे कि एक शख्स ने किसी शख्स से हदीस बयान की तो मैंने कहा कि वह तो गैर मोतबर है तो एक शख्स कहने लगा कि ए अफफान तुमने उसकी गीबत की। उस पर इस्माईल ने कहा कि उसने गीबत नहीं की बल्कि हुकम बयान किया कि वह हदीस में मोतबर नहीं-----

**इमाम मुस्लिम फरमाते** कि: हमने हदीस के रावियों के बारे में अहले इल्म के कलाम से जईफ़ रावियों की जो तफ्सील जिक्र की है और उन रिवायतों के जिनके उयूब और नकाइस का जिक्र किया है वह साहिब-ए-फरासत के लिये काफी हैं। अगर वह तमाम तन्कीदी कौल नकल किये जाते जो रावियाने हदीस के मुताल्लिक उलमा-ए-हदीस ने बयान किये हैं, तो यह किताब बहुत ही लम्बी हो जाती। हदीस के इमामों ने रावियों का ऐब खोल देना जरूरी समझा और जब उनसे इसके मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने ने इस बात के जवाज का फत्वा भी दिया। और यह बड़ा ही अहम काम है क्योंकि दीन की बात जब नकल की जाएगी तो वे हदीसों:

- 1- किसी अमर के हलाल होने या हराम होने के लिये होंगी। या फिर वे हदीसों:
- 2- किसी अमर या नही (यानी नेक बात का हुकम और बुरी बात की मुमानिअत) के लिये होंगी। या फिर वह हदीसों:
- 3- किसी तर्गीब या तरहीब (यानी फजाइल और वईद) के लिये होंगी।

(यानी इस बात से साबित हुवा कि इमाम मुस्लिम رحمه الله के नजदीक भी जईफ़ुल इस्नाद हदीसों फजाइले आमाल में भी हुज्जत व दलील नहीं हैं)-----

जब हदीस का कोई रावी खुद सच्चा और अमानत दार ना हो और फिर वह रिवायत भी बयान करे और बाद वाले लोग उस रावी की खराबी के बावजूद दूसरे लोगों को, जो इसको गैर सिका के तौर पर ना जानते हों, उस रावी की कोई रिवायत बयान कर दें और उसके हाल पर कोई तन्कीद और तब्सिरा ना करें, तो ऐसे उलमा दरअसल मुस्लिम अवामुन्नास के साथ खियानत और धोका करने वाले शुमार होंगे। क्योंकि उन हदीसों में बहुत सी हदीसों मौजूद और मनघडंत होंगी और अवाम की अक्सरियत रावियों के हालात से नावाकफियत की बिना पर उन हदीसों पर अमल शुरु कर देगी। तो उस तमाम का गुनाह उस रावी पर होगा जिस ने यह हदीस बयान की होगी। सही हदीसों जिनको मोतबर और सिका रावियों ने बयान किया इस कदर कसरत के साथ मौजूद हैं कि उनकी मौजूदगी में इन बातिल और मनघडंत रिवायात की बिल्कुल ही जरूरत ही बाकी नहीं रहती। इस तहकीक के बाद मैं यह नहीं समझता कि कोई भी शख्स अपनी किताब में मजहल, गैर सिका और गैर मोतबर रावियों की हदीसों नकल करेगा खास तौर से जबकि वह सनद हदीस से वाकिफ भी हो, सिवाय उस शख्स के जो लोगों के नजदीक अपनी कसरत इल्म साबित करना चाहे और इस मकसद के हसूल के लिये वह बातिल और मन घडंत अस्नाद के साथ भी हदीसों पेश करने में जरा खौफ़ और हिचकिचाहट महसूस ना करे, ताकि लोग उसके वसी इल्म और ज्यादा रिवायतें जमा करने पर उसे दाद दें। लेकिन जो शख्स भी ऐसे बातिल तरीके को इख्तियार करेगा, तो अहले इल्म और अकलमंद लोगों में ऐसे आलिम की कोई वकअत और इज्जत बाकी नहीं रहेगी, और ऐसा शख्स आलिम कहलवाने की बजाय जाहिल कहलवाने का ज्यादा हकदार होगा।-----

- 1- मुर्सल (यानी ताबईन की हदीसों और दीगर मुनकता रिवायात) हमारे और अहले इल्म मुहद्दिसीन के कौल के मुताबिक हुज्जत व दलील नहीं हैं।
- 2- जो रावी तदलीस करने में मशहूर हो उसके बारे में मुहद्दिसीन यह तहकीक जरूर करते हैं कि वह जिस शैख की तरफ रिवायत की निस्बत कर रहा है फिल वाके उस रावी ने उस शैख से हदीस सुनी है या सिर्फ उसकी तरफ तदलीस की निस्बत कर दी है जबकि हकीकत में वह हदीस किसी और से सुनी है। और उस वक्त यह तहकीक करने का मकसद तदलीस के मर्ज को दूर करना होता है ताकि अगर वाकई उस रावी ने सनद में तदलीस की हो तो उस सनद का ऐब जाहिर हो जाए। लेकिन जो रावी मुदल्लिस ना हो तो इमामे हदीस उस रावी के सिमाअ की तहकीक नहीं करते----- (फिर इस के बाद) इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी رحمه الله, हम्दो-सलात के साथ सहीह मुस्लिम का मुकदमा मुकम्मल करते हैं।